न्याय की धारणा

न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म में के कार्यों का फल । आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है पर उसका आचरण न्याय पूर्ण तभी समझा जा सकता है जब उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो।संक्षेप में हम कह सकते हैं कि न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग-अलग कल्याण से भिन्न हो ,बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो, न्याय की धारणा के प्रमुख दो आधार हैं:- स्वतंत्रता और समानता।

न्याय धारणा के विविध रूप

परंपरागत रूप में न्याय की दो ही धारणा रहे हैं नैतिक और कानूनीलेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है, और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। न्याय धारणा के इन विविध रूपों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-

नैतिक न्याय :- परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रुप में ही अपनाया जा जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्व व्यापक अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक से संचालित करते हैं।इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आश्रम इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है, तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है।

नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से कुछ है ,सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना,उदारता और दान का परिचय देना आदि नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर संबंधित होते हुए भी इनमें कुछ भेद है और नैतिकता, नैतिक न्याय की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है।

कानूनी न्याय:- राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानून व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों

में प्रयोग की जाती है ।एक कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्याय उचित होते हैं।दूसरा कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्याय उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्याय उचित ढंग से लागू करने का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

राजनीतिक न्याय:- राज व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप में पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए क्योंकि राजव्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन व्यस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता ,प्रेस की स्वतंत्रता, नगरपालिका की स्वतंत्रता बिना आदि किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात नहीं है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा।

सामाजिक न्याय:- सामाजिक न्याय का मतलब है कि नागरिक ,नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पुण्य अवसर प्राप्त व सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात नहीं है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और इन संदर्भ में समाज राजनीतिक सत्ता से यह आशा करता है कि वह अपने विदाई तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत ही अधिक लोकप्रिय है, और इन सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद या किसी अन्य रूप को अपना लिया गया है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने एक बात ठीक ही कहा था कि लाखों करोड़ों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उनका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं अपितु सामाजिक न्याय के प्रति उनकी तत्परता है। गेहरलिख, सोमबर्ट, टायनबी, बजाइम आदि ने इसी आधार पर मार्क्सवाद को नवीन युग का एक नया धर्म बताया। वास्तव में सामाजिक न्याय के बिना समानता तथा स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाते हैं।

आर्थिक न्याय:- आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है।कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं,किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और धनवान व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए।इसमें यह बात विनीत है कि पहले समाज के सभी व्यक्तियों की अनिवार्य

आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही किन्ही व्यक्तियों द्वारा आरामदायक वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है।